प्रेषक, संख्या–4659 /96–आयुष–1–2019–294/2019

शैलेन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

आयुष अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 20 अगस्त, 2019

विषय–प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों, विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों में पी0जी0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग के संबंध में।

महोदय,

ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी, 2019 की मेरिट सूची के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2019–20 में प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों, विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों में पी0जी0 (एम0डी0/एम0एस0) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग के संबंध में शासनादेश संख्या–4469/96–आयुष–1–2019–294/2019, दि0 13.08.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निम्नवत् समय सारिणी निर्धारित की गयी है:–

क0 सं0	विवरण	दिनांक/अवधि
1	आनलाइन पंजीकरण	24.08.2019 से 28.08.2019 तक (05 दिवस)
2	उ0प्र0 में पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची का प्रकाशन	30.08.2019 (01 दिवस)
3	प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग	04.09.2019 से 06.09.2019 तक (03 दिवस)
4	प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश की अन्तिम तिथि	09.09.2019 (01 दिवस)
5	द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग	16.09.2019(01 दिवस)
6	द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश की अन्तिम तिथि	19.09.2019 (01 दिवस)

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिव्यांगजनों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के निशक्त जन अधिनियम–2016 में 05 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिये जाने का प्राविधान किया गया है। अतएव दिव्यांगजन के प्रमाण पत्र की जांच हेतु किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (के0जी0एम0यू0) लखनऊ में दिनांक 02.09.2019 एवं 03.09.2019 तथा दिनांक 13.09.2019 एवं 14.09.2019 को मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त्।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

v-ayu-draft